अधिकरण–पंचम अति0 सदस्य मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला भोपाल (म0प्र0)
समक्षः–(विनय कुमार भारद्वाज)

Reg. No. MACC/2080/2022
Filling No.MACC/4534/2022
CNR No.MP0401-029541-2022
Filling Date:- 24-08-2022

01	विष्णु दमदेरिया आ0 श्री नारायण दमदेरिया, आयु– 28 वर्ष, निवासी– झुग्गी क्रमांक 136, अर्जुन नगर, अयोध्या बायपास, भोपाल म0प्र0

––––––**आवेदक**

:: **वि रू द्ध** ::

01	सोभरन सिंह आ0 श्री भगवान सिंह द्वारा :– राधेश्याम माहेश्वरी आ0 हेमराज, निवासी– धनखेडी निपानिया, चांदबढ, थाना श्यामपुर, जिला सीहोर म0प्र0 (वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.डी. 8971 का चालक)
02	राधेश्याम माहेश्वरी आ0 हेमराज, निवासी– धनखेडी निपानिया, चांदबढ, थाना श्यामपुर, जिला सीहोर म0प्र0 (वाहन ट्रक क्रमांक एम.पी.09 के.डी. 8971 का स्वामी)
03	दि न्यू इण्डिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा प्रबंधक, टी.पी. हब, द्वितीय तल, तृतीय खण्ड, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल म0प्र0 (वाहन क्रमांक एम.पी.09 के.डी. 8971 की बीमा कंपनी)

––––––––**अनावेदकगण**

::: **अधिनिर्णय** :::

(आज दिनांक : 16/04/2024 को घोषित किया गया)

01– आवेदक की ओर से यह क्लेम याचिका धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988, संशोधित अधिनियम 1994 के अंतर्गत दिनांक 07–07–2022 को

समय रात्रि के लगभग 11:45 बजे स्थान पिपलानी पेट्रोल पम्प के आगे बस स्टॉप, भोपाल अनावेदक क्र. 01 द्वारा तथा अनावेदक क्रमांक 02 के स्वत्व के एवं अनावेदक क्र. 03 के यहॉ बीमित वाहन क्रमांक एमपी 09–केडी–8971 (आगामी पदों में प्रश्नगत वाहन से सम्बोधित) से हुई दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक की आयी चोटों की क्षतिपूर्ति राशि 6,45,000/–रूपये ब्याज सहित प्राप्ति हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है।

02– प्रकरण में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि घटना दिनांक को प्रश्नगत वाहन का अनावेदक क्र. 01 चालक तथा अनावेदक क्रमांक 02 प्रश्नगत वाहन का स्वामी होकर अनोवदक क्र. 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित था।

03– क्लेम याचिका संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दुर्घटना दिनांक 07–07–2022 को रात्रि के लगभग 11:45 बजे अपनी मोटरसाइकिल को सही दिशा व सामान्य गति से चलाते हुए अवधपुरी से ममता नगर आ रहा था कि जैसे ही आवेदक पिपलानी पेट्रोल पम्प के आगे बस स्टॉप के सामने रायसेन रोड पर पहुंचा कि तभी पीछे की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक एम.पी.09–केडी–8971 का चालक ट्रक को काफी तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक ढंग से चलाते हुये लाया और आवेदक की मोटरसाइकल को जोरदार टक्कर मार दी जिससे मोटरसाइकिल सहित नीचे गिर गया जिससे आवेदक सुपर प्यूबिक रमनी बोन में गंभीर फ्रेक्चर, पैर में गंभीर चोटें, घुटने में गंभीर चोटें, कमर, पीठ, पसलियों एवं शरीर में जगह–जगह अंदरूनी और बाहरी चोटों के परिणामस्वरूप आवेदक को स्थायी रूप से अपंगता कारित हुयी है। घ टना के तुंरत बाद घटनास्थल से गंभीर घायलावस्था में उपचार हेतु

बालाजी अस्पताल ले जाया गया, उसके पश्चात आवेदक ने अन्य प्रायवेट चिकित्सकों से अपना उपचार करवाया। दुर्घटना अनावेदक क्रमांक 01 एमपी.09–केडी–8971 के चालक अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा वाहन को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्वक चलाकर जोरदार टक्कर मारने के कारण घटित हुई थी। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 02 के स्वामित्व का होकर अनावेदक क्रमांक 03 के पास शीर्षकानुसार वैध रूप से बीमित था। उपरोक्त कारणवश उक्त दुर्घटना के लिये अनावेदकगण संयुक्त व पृथक–पृथक रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना पिपलानी भोपाल मध्यप्रदेश में अपराध क्रमांक 535/2022 अंतर्गत धारा 279, 337, भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।

04— घटना के पूर्व आवेदक पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं हृष्टपुष्ट 28 वर्षीय नौजवान व्यक्ति था तथा प्रायवेट कार्य करके 15,000/— रूपये प्रतिमाह की आय प्राप्त करता था उक्त आय से आवेदक अपने घर परिवार का भरण पोषण एवं दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था परंतु दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाने के कारण वह अपना कार्य नहीं कर पा रहा है तथा भविष्य में और अधिक आय अर्जित करने में पूर्ण अवसर समाप्त हो गये हैं आवेदक भविष्य मे अधिक आय अर्जित कर अपने परिवार को सभी प्रकार की सुख–सुवधाएं प्रदान करवाता, परंतु आवेदक के उपचार में काफी धन व्यय होने के कारण आवेदक के परिवार की आर्थिक स्थिति पर भी विपरीत प्रभाव पडा है। इसलिए आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि 6,45,000/—रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है एवं इस राशि पर दुर्घटना दिनांक से क्षतिपूर्ति राशि

प्राप्त होने तक 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी पाने की अधिकारी है।

05— अनावेदक क्रमांक 01 व अनावेदक क्रमांक 02 पर समन की सम्यक तामीली के पश्चात भी उपस्थित न होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी।

06— प्रकरण में अनावेदक क्रं. 03 द्वारा लिखित जबावदावे में क्लेम आवेदन के तथ्यों को अस्वीकार कर अभिकथित किया है दुर्घटना दिनांक को ट्रक क्रमांक एम.पी.09—केडी—8971 के चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस नहीं था और अनावेदक क्रमांक 02 द्वारा दुर्घटना की सूचना बीमा कंपनी को नहीं दी है जिससे बीमा पॉलिसी की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। दुर्घटना दोनों पक्षकारों की योगदायी उपेक्षा के कारण घटित हुयी है तो ऐसी स्थिति में क्षतिपूर्ति का आनुपातिक निर्धारण किया जाना उचित होगा। यदि अनावेदक क्रमांक 01 उपस्थित होकर अपना बचाव प्रस्तुत नहीं करता है अथवा एकपक्षीय हो जाता है तो बीमा कंपनी को धारा 170 के अधीन अपना बचाव करने की अधिकारी है । अतः आवेदक को आवेदन सव्यय निरस्त किया जावे।

07— उभयपक्ष के अभिवचन और दस्तावेजों के आधार पर मेरे द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गये, जिनके निष्कर्ष विवेचना उपरान्त अंकित किए गए हैंः—

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1	क्या दिनांक 07—07—2022 को समय रात्रि 11:41 बजे पिपलानी पेट्रोल पम्प के आगे बस स्टॉप के सामने, रायसेन रोड पिपलानी थाना पिपलानी	

	भोपाल म.प्र. में अनावेदक क्रं 01 द्वारा अनावेदक क्रं 02 के स्वामित्व के एवं अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित वाहन ट्रक क्रमांक एमपी09—केडी—8971 को उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक विष्णु दमदेरिया को चोटें कारित हुईं?	''प्रमाणित''
2	क्या आवेदक को उक्त दुर्घटना में आयी चोटों के कारण उपहति / गंभीर उपहति या स्थायी अपंगता कारित हुई ?	केवल गंभीर उपहति आना प्रमाणित ।
3	क्या दुर्घटना स्वयं आवेदक की लापरवाही या योगदायी अथवा अंशदायी उपेक्षा के कारण हुई ?	''प्रमाणित नही''
4	क्या दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन, अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा बिना किसी वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस पंजीयन, प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था?	''प्रमाणित नही''
5	क्या आवेदक अनावेदकगण से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है? यदि हां तो किससे और कितना ?	''आवेदक अनावेदकगण से कुल क्षतिपूर्ति 89,868 / — रूपये 7 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज सहित प्राप्त करने की पात्र है''
6	क्या सहायता एवं वाद व्यय ?	''अधिनिर्णय की कंडिका क्र. 26 के अनुसार आंशिक स्वीकार।''

<u>/ / निष्कर्ष के आधार / /</u>

<u>वादप्रश्न क्रमांक 01 व 02 का निराकरण :—</u>

08— विष्णु दमदेरिया अ.सा. 01 ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि

दुर्घटना दिनांक 07–07–2022 को समय रात्रि लगभग 11:45 बजे वह मोटरसाइकिल से अवधपुरी से ममता नगर जा रहा था। उसके पीछे उसके चाचा–चाची दूसरी मोटरसाइकिल से जा रहे थे। जैसे ही वह पिपलानी पेट्रोल पम्प के थोडे आगे बस स्टाप के सामने पहुंचा तभी पीछे क ओर से आ रहे ट्रक कमांक एमपी09–केडी–8971 के चालक ने ट्रक को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, टक्कर लगने से वह गिर गया तथा ट्रक वाला ट्रक वहीं छोडकर भाग गया। दुर्घटना के बाद उसे डायल 100 नंबर वाहन से बालाजी अस्पताल भोपाल ले जाया गया, जहां पर वह पांच दिन भर्ती रहा।

09– विष्णु दमदेरिया अ.सा. 01 ने आगे अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा है कि दुर्घटना मे ंउसके बायें पैर के घुटने की हड्डी टूट गयी थी। शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थी, जहां उसका आपरेशन हुआ था। दुर्घटना में उसके घुटने की हड्डी टूटने के कारण उसे चलने, सीढी चढने उतरने, मोडने में तकलीफ बनी रहती है। स्वतः कहा कि उसे सहारे के लिए स्टिक की जरूरत पडती है। उसके द्वारा उसके विकलांगता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड जे.पी. अस्पताल भोपाल से प्रमाण पत्र बनवाया है।

10– आवेदक ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियों एफआईआर प्रदर्श पी 01, प्रीएमएलसी रिपोर्ट प्रदर्श पी 02, बालाजी अस्पताल की हिस्ट्री शीट प्रदर्श पी 03 व 04 धारा 133 मोटरयान अधिनियम का नोटिस प्रदर्श पी 05, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 06 व 07, आरोपी को दिया सूचना पत्र प्रदर्श पी 08, बालाजी अस्पताल का

डिस्चार्ज प्रदर्श पी 10 तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श पी 09 की प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत की गई है। **न्यायदृष्टांत अनिल तिवारी विरूद्ध साहब सिंह 2001 एम.एल.जे. 59 (म.प्र.) एवं नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध पुष्पा राणा 2009 ए.सी.जे. 287 (देहली)** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि सिद्धांत के अनुसार क्लेम प्रकरण में साक्ष्य विधि के कठोर सिद्धांत प्रयोज्य नहीं होते है और उक्त आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियों पर औपचारिक प्रमाण के बिना विचार किया जा सकता है।

11— आवेदक विष्णु दमदेरिया अ.सा.01 ने अपने साक्ष्य में में प्रश्नगत वाहन क्रमांक एमपी09—केडी—8971 के द्वारा उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मारना बताया है। इस संबंध में इस साक्षी के कथन प्रतिपरीक्षण में अखंडित रहे हैं । इस प्रकार आवेदक की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह विश्वनीय रूप से प्रमाणित होता है कि दुर्घटना में प्रश्नगत वाहन अंतर्ग्रस्त था। अब यह विचार किया जाना है कि प्रश्नगत वाहन के चालक अनावेदक क्रं 01 की उपेक्षा अथवा लापरवाही के कारण घटित हुयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 01 में प्रश्नगत वाहन के चालक द्वारा तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित करने का उल्लेख है। अभियोग पत्र प्रपी—09 के अवलोकन से प्रकट है कि विवेचक द्वारा संपूर्ण विवेचना पूर्ण कर अनावेदक क्र. 01 के विरूद्ध धारा 279, 337, 338 भादवि के अंतर्गत अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। **न्यायदृष्टांत न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम पझानियाम्मल 2012 (1) ए.सी.सी.डी. 192 (केरल)** में माननीय उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया गया है कि

पुलिस आरोप पत्र को मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के अधीन दावे के प्रयोजनार्थ उपेक्षा का प्रथमदृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य है। यदि पक्षकारों में से कोई उस आरोप पत्र को स्वीकार नहीं करता है तो मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने का भार ऐसे पक्षकार पर होगा। **न्याय दृष्टांत बसंत कौर विरूद्ध छत्रपाल 2003 ए.सी.जे.–369 (म.प्र.) एवं मध्य–प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन विरूद्ध वैजयन्ती व अन्य, 1995 ए.सी. जे.–560 (म.प्र.) एवं सीतादेवी विरूद्ध धर्मवीर 2006 ए.सी.सी. 2852 (हिमाचल प्रदेश)** में यह विधि प्रतिपादित की गयी है कि दुघ र्टना कारित करने वाले वाहन का चालक इस बात का सर्वोत्तम साक्षी है कि उसके द्वारा चलित वाहन से दुर्घटना कारित हुई थी अथवा नहीं और यदि हुई थी, तो किन परिस्थितियों में। अनावेदक क्र. 01 द्वारा ऐसी कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, दूसरी ओर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अखंडित मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अनावेदक क्र. 01 द्वारा वाहन को उपेक्षा अथवा उतावलेपन से चलाये जाने के कारण दुर्घटना कारित होना प्रमाणित होता है।

12– विष्णु दमदेरिया अ.सा. 01 ने अपने मुख्य परीक्षण में यह भी कहा है कि दुर्घटना मे उसके बायें पैर का घुटने की हड्डी टूट गयी थी। शरीर के अन्य हिस्सों में चोटें आई थी, जहां उसका आपरेशन हुआ था। आरएसओ रिपोर्ट प्रदर्श पी 04 के सुपर प्युबिक रेमी बोन और टिबिया में अस्थिभंग कारित हुआ है। दुर्घटना में उसके घुटने की हड्डी टूटने के कारण उसे चलने, सीढी चढने उतरने, मोढने में तकलीफ बनी रहती है। स्वतः कहा कि उसे सहारे के लिए स्टिक की जरूरत पडती है। उसके द्वारा उसके विकलांगता के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड जे.पी.

अस्पताल भोपाल से प्रमाण पत्र बनवाया है। आवेदक की ओर से उक्त चोटो के संबंध मे स्थायी अपंगता प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 32 प्रस्तुत किया गया है किंतु उक्त स्थायी अपंगता प्रमाणपत्र जारी करनेवाले किसी चिकित्सीय साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है। आवेदक अधिवक्ता की ओर से तर्क किया गया है कि स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है ऐसी स्थित में वह लोक दस्तावेज की श्रेणी में आता है और जारी करने वाले चिकित्सक को परीक्षित किए बिना साक्ष्य में ग्राह्य है।

13– न्यायदृष्टांत ''ए.पी. एसआरटीसी वि0 पी. थिरूपल रेड्डी 2005 एससीसी 12 189'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा क्र. 06 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है कि After hearing learned counsel for the respondent-claimant who made an attempt to support the order of the High Court, we find that there was no justification for the High Court to rely on the disability certificate issued by Dr. Sudhakar Reddy and enhance the compensation by treating the injury as permanent disability to be 45 percent. The High Court committed gross error in overlooking the fact that Dr.Sudhakar Reddy's medical certificate was rejected by the Tribunal for non-examination of that doctor. The Tribunal has determined the physical disability at 15 per cent on the basis of the deposition of Dr. K.M Mitra and awarded a just and fair compensation. The High Court erred in disturbing the same and enhancing the compensation. Consequently, we allow this appeal, set aside the impugned order and restore the award of the Claims Tribunal. The respondent-claimant is allowed to withdraw the amount of compensation

awarded by the Tribunal, if it has not already been withdrawn.

14– न्यायदृष्टांत ''राजेश कुमार उर्फ राजू वि0 युद्धवीर सिंह व अन्य (2008) 7 एससीसी 305'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 09 में निम्नलिखित संप्रेक्षित किया है The certificate in question in this case was obtained after two years. It is not known as to whether the civil surgeon of the hospital treated the appellant. On what basis, such a certificate was issued two years after the accident took place is not known. The author of the said certificate had not been examined. Unless the author of the certificate examined himself, it was not admissible in evidence.

15– इसी प्रकार न्यायदृष्टांत ''राजकुमार वि0 अजय कुमार 2011 एसीजे 1'' में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के पैरा 12 में संप्रेक्षित किया है कि :– Mere production of a disability certificate or Discharge Certificate will not be proof of the extent of disability stated therein unless the Doctor who treated the claimant or who medically examined and assessed the extent of disability of claimant, is tendered for cross- examination with reference to the certificate.

16– न्यायदृष्टांत ''ओरियंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमि. वि0 श्री प्रवीण व अन्य 2011 एससीसी ऑनलाइन एचपी 743'' में माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने निर्णय के पैरा 09 में यह अभिनिर्धारित किया है कि स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र लोक दस्तावेज नहीं है और उसे विधिअनुसार साबित किया जाना चाहिए। वास्तव में केवल वह डॉक्टर जिसने सर्टिफिकेट जारी किया है या जिसने दावाकर्ता को परीक्षित किया है जो प्रमाणित कर सकता है कि दावाकर्ता को किस सीमा तक अपंगता आई है, केवल

डॉक्टर को परीक्षित किए जाने से ही स्पष्ट हो सकता है कि दावाकर्ता क्या काम कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है।

17– न्यायदृष्टांत ''शिवकुमार वि0 सहेन्द्र राजभर उर्फ सुरेन्द्र राजभर व अन्य 2014 सीजीएलजे 1 557'' में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायदृष्टांत 'ए.पी. एसआरटीसी वि0 पी. थिरूपल रेड्डी 2005 एससीसी 12 189'' एवं ''राजेश कुमार उर्फ राजू वि0 युद्धवीर सिंह व अन्य (2008) 7 एससीसी 305'' में प्रतिपादित न्यायदृष्टांतों पर विचार करते हुए इंज्युरी रिपोर्ट और प्रमाण पत्र जारी किए जाने वाले डॉक्टर को परीक्षित किए बिना उन्हें साक्षी के रूप में न तो ग्राह्य माना और न ही मुआवजे में वृद्धि के लिए सारवान साक्ष्य के रूप में।

18– इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के आलोक में यह स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से प्रपी–32 का विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने वाले मेडिकल बोर्ड के संबंधित चिकित्सक को परीक्षित न कराये जाने अथवा जिस चिकित्सक द्वारा आवेदक का इलाज किया गया था, उसके परीक्षित न किए जाने के अभाव में प्रपी–32 साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होगा और न ही मुआवजा की वृद्धि के रूप में उक्त प्रपी–32 के दस्तावेज को विचार में किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आवेदक अधिवक्ता का उक्त तर्क सारहीन होने से स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

19– इस प्रकार आवेदक की ओर से प्रपी–32 का स्थाई अपंगता प्रमाण पत्र विधि अनुसार प्रमाणित नहीं कराया गया है किंतु आवेदक की ओर से

प्रस्तुत चिकित्सीय दस्तावेजों से स्पष्ट है कि आवेदक को उसके बायें पैर का घुटने की हड्डी टूट से फेक्चर कारित हुआ है जो कि गंभीर प्रकृति की चोट है।

20– उपरोक्त विवेचना के परिणामस्वरूप विचारणीय प्रश्न कमांक 01 व 02 का निराकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि दिनांक 07.07.2022 को रात्रि करीब 11:45.समय रात्रि 11:41 बजे पिपलानी पेट्रोल पम्प के आगे बस स्टॉप के सामने, रायसेन रोड पिपलानी थाना पिपलानी भोपाल म.प्र. में अनावेदक कं 01 द्वारा अनावेदक कं 02 के स्वामित्व के एवं अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी के यहां बीमित वाहन ट्रक कमांक एमपी.09–केडी–8971 को उपेक्षापूर्वक अथवा लापरवाही से चलाकर आवेदक की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक विष्णु को गंभीर चोटें कारित हुई किंतु स्थायी अपंगता आना प्रमाणित नही है।

<u>वादप्रश्न क. 03 का निराकरण :–</u>

21– यह वादप्रश्न साबित करने का भार बीमा कंपनी का है। विष्णु दमदेरिया अ.सा. 01 ने प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया है जिससे दर्शित हो कि आवेदक की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटित हुई है। अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे दर्शित हो कि आवेदक की लापरवाही से दुघ्र्टना घटित हुई है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादप्रश्न 03 का निराकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि अनावेदक कमांक 03 बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि आवेदक की

लापरवाही या योगदायी अथवा अंशदायी उपेक्षा के कारण दुर्घटना घटित हुई है।

वाद प्रश्न क. 04 का निराकरण :–

22– अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कंपनी की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कि जिससे यह दर्शित हो कि दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा वाहन का चालन बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन में किया जा रहा था। उपरोक्त विवेचना के अनुसार वादप्रश्न क्रमांक 04 का निराकरण इस प्रकार किया जा रहा है कि बीमा कंपनी ने यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन, अनावेदक क्रमांक 01 के बिना किसी वैध एवं प्रभावी ड्राइविंग लायसेंस पंजीयन प्रमाण पत्र, परमिट, फिटनेस एवं बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघंन में चलाया जा रहा था।

वादप्रश्न कमांक 5 का निराकरण :–

23– आवेदक विष्णु दमदेरिया अ0सा0–01 की ओर से अपने इलाज संबंधित बिल प्रदर्श पी 16 लगायत प्रदर्श पी 31 प्रस्तुत किये है। आवेदक के उपचार संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी 11 लगायत प्रदर्श पी 15, बालाजी अस्पताल का मूल बिल प्रदर्श पी 16, आवेदक के उपचार संबंधी बिल, पर्चे, रसीदें, केश मैमो प्रदर्श पी 17 लगायत प्रदर्श पी 31 है। बालाजी अस्पताल का बिल प्रदर्श पी 16 की भुगतान की राशि 9,100/– रूपये, आवेदक की ओर से प्रस्तुत मेडिकल बिल प्रदर्श पी 18 लगायत प्रदर्श पी 24 एवं प्रदर्श पी 27 लगायत प्रदर्श पी 29 की राशि 7,968/–रूपये है। बालाजी अस्पताल की रसीदें प्रदर्श पी 17, 25, 26 व 31 की राशि

3,800/— रूपये होती है। इसप्रकार उक्त बिलों की गणना करने पर उक्त राशि **20,868/—** रूपये होती है। जिसे आवेदक क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। डिस्चार्ज समरी प्रदर्श पी 10 के अनुसार आवेदक दिनांक 08—07—2022 से दिनांक 11—07—2022 तक भर्ती रहा है। ऐसी स्थिति में आवेदक को पोष्टिक आहार अटेंडेन्ट एवं आवागमन के मद में **4,000/—** रूपये क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी है।

24— आवेदक के चिकित्सीय दस्तावेजों में उसको आई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए वह अपना चार माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा। ऐसी स्थिति में दुर्घटना दिनांक को कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी को दृष्टिगत रखते हुए 7500/— रूपये प्रतिमाह की दर से उसे आय अर्जन हानि के मद में **30,000/—** रूपये दिलाया जाना न्यायोचित होगा। आवेदक को आई चोटों को दृष्टिगत रखते हुए उसे शारीरिक एवं मानसिक कष्ट के मद में **35,000/— रूपये** दिलाया जाना न्यायोचित होगा। इस प्रकार आवेदक उक्त मद में कुल राशि **89,868/— रूपये (नवास्सी हजार आठ सौ अड़सठ रूपये मात्र)** क्षतिपूर्ति राशि पाने का अधिकारी है।

25— उपरोक्त विवेचना के अनुसार यह प्रमाणित है कि वाहन चालक अनावेदक कमांक—01 द्वारा अनावेदक क. 02 के स्वामित्व के प्रश्नगत वाहन को दुर्घटना के समय चलाया जा रहा था तथा बीमा पॉलिसी की शर्तो का उल्लंघन किया जाना भी प्रमाणित नहीं है। इस प्रकार आवेदक को अनावेदकगण संयुक्तः अथवा पृथक—पृथक उक्त क्षतिपूर्ति राशि अदायगी के लिए उत्तरदायी है।

सहायता एवं आवेदन व्यय :–

26– उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना के उपरांत आवेदक की ओर से प्रस्तुत क्लेम याचिका **आंशिक रूप से** स्वीकार की जाती है। आवेदकगण के पक्ष में एवं अनावेदकगण के विरूद्ध निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(1) यह कि अनावेदकगण दो माह के भीतर आवेदक को **89,868/– रूपये (नवास्सी हजार आठ सौ अड़सठ रूपये मात्र)** बतौर क्षतिपूर्ति रूपया आवेदन प्रस्तुति दिनांक 29–07–2022 से अदायगी दिनांक तक 07 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ अदा करें।

(2) उक्त क्षतिपूर्ति राशि ब्याज सहित जमा होने पर आवेदक को संपूर्ण राशि का भुगतान उसके राष्ट्रीयकृत बैक के बचत खाता के माध्यम से नगद भुगतान किया जावे।

(3) अनावेदकगण स्वयं के व्यय के साथ आवेदक का व्यय भी वहन करेंगे। अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या 1,000/–रूपये जो भी कम हो देय होगा।

''उपरोक्तानुसार व्यय तालिका बनाई जाए।''

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(विनय कुमार भारद्वाज)
पंचम अति. सदस्य मो.दु.दावा अधि.
जिला–भोपाल (म0प्र0)

(विनय कुमार भारद्वाज)
पंचम अति. सदस्य मो.दु.दावा अधि.
जिला–भोपाल (म0प्र0

VINAY KUMAR BHARDWAJ

Digitally signed by VINAY KUMAR BHARDWAJ
DN: c=IN, o=DISTRICT AND SESSIONS COURT BHOPAL, ou=DISTRICT AND SESSIONS COURT BHOPAL, 2.5.4.20=5396961db4738c9390ee40b4da0d6eb38a7253cc9470d714252c4700ad0f0f99, postalCode=462001, st=Madhya Pradesh, serialNumber=5697F820C7B6D67AB6C6D6A4DA44811DAD7906EED951D59C4BB1CC69A7F5F13F, cn=VINAY KUMAR BHARDWAJ
Date: 2024.04.17 12:50:25 +05'30'